छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | नवम् सत्र | अंक-20

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2012

(चैत्र-15, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 05 एवं 07 से 16 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 03 एवं 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री लेखराम साहू एवं डॉ.शिवकुमार डहरिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 7 तारांकित एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पृच्छा

प्रश्नकाल समाप्त होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई। श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य द्वारा माननीय सदस्यों को पेपर वितरण किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

यह संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। यह बिल्कुल गलत तरीका है। आप इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। सदन की संसदीय परंपरा और मर्यादा कि रक्षा यदि हम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? यह बिल्कुल उचित नहीं है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति परीक्षण करती है, विधानसभा में चर्चा नहीं होती।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर आपने ध्यानाकर्षित करा दिया है। सी.ए.जी. रिपोर्ट पटल पर रखी गई है, वह लोकलेखा समिति के विचाराधीन है। उसके संबंध में यहां पर चर्चा नहीं होती।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने -

(1) वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष-2010-2011,

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009,

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, छत्तीगसढ़ का षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (01 जुलाई, 2010 से 30 जून 2011),

(2) महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) की धारा 40 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी के परिनियम, अध्यादेश व विनियम,

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का षष्ठम् द्विवार्षिकीय प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011, एवं

(2) वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2005-2010 एवं 2010-2011,

पटल पर रखा।

5. पृच्छा

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने लोकलेखा समिति की प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि समिति इसका परीक्षण करेगी, यह विधानसभा की चर्चा का विषय नहीं है।

6. बहिर्गमन

समिति के प्रतिवेदनों की अनुशंसाओं पर शासन द्वारा कार्यान्वयन न किए जाने के विरोध में श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 26 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। उनमें से प्रथम दो ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में राइनों स्पोरोडिओसिस बीमारी का प्रकोप होने के ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, भजन सिंह निरंकारी, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने दुर्ग एवं बालोद जिले में ट्रेक्टर फायनेंस के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(3)	श्री रविन्द्र चौबे
(7)	श्री रविन्द्र चौबे
(8)	सर्वश्री देवजी पटेल, रविन्द्र चौबे

(9) श्री देवजी पटेल

(10) महंत श्री रामसुंदर दास

(12) श्री देवजी पटेल

(13) श्री रविन्द्र चौबे

(15) श्री देवजी पटेल

(16) सर्वश्री अमरजीत भगत, टी.एस.सिंहदेव

(19) श्री रविन्द्र चौबे

(20) श्री देवजी पटेल

(21) श्री रुद्र कुमार गुरु

(24) डॉ.शक्राजीत नायक

(26) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, महंत रामसुंदर दास

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार श्री सौरभ सिंह, सदस्य की सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) श्री राजकमल सिंधानिया

(2) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(3) श्री भोलाराम साहू

(4) श्री ताम्रध्वज साहू

(5) श्री परेश बागबाहरा

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) पुर:स्थापित किया।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त -

(1) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012)

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012)

पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया।

(3) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी एवं श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री परेश बागबाहरा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

11. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज प्रश्नकाल के पश्चात् प्रतिपक्ष द्वारा सदन से बहिगर्मन के समय माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा की गई टिप्पणी को विलोपित कर दिया गया है।

12. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, सदस्य, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(2) श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सदस्य, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये, एवं

(3) श्री नारायण चंदेल, सभापति, सदन की जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि - रोगदा जलाश्य को हस्तांतरित करने और इससे सम्बद्ध विषयों पर जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(4) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने प्रस्ताव किया कि - साल बीज संग्रहण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(5) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि - सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुये।

13. नियम - 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री अमरजीत भगत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 23 मार्च, 2012 विचारोपरांत कक्ष में अग्राह्य कर दी है।

14. नियम - 169 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी द्वारा डॉ.अनिल खाखरिया के विरूद्ध प्रस्तुत सूचना जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया है। समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक प्रस्तुत करें।

15. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए क्रमशः 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमशः 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः निम्नांकित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया जाता है :-

लोक लेखा समिति

1. डॉ.सुभाऊ कश्यप
2. श्री बद्रीधर दीवान
3. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
4. श्री संतोष बाफना
5. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
6. श्री रविन्द्र चौबे
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
9. डॉ.शिवकुमार डहरिया

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री बैदूराम कश्यप
3. श्री दीपक कुमार पटेल
4. श्री फूलचंद सिंह
5. श्री राजू सिंह ठाकुर
6. श्री बोधराम कंवर
7. श्री रामपुकार सिंह
8. श्री ताम्रध्वज साहू
9. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्री दीपक कुमार पटेल
3. श्री खेदूराम साहू
4. श्री भीमा मंडावी
5. श्री ब्रम्हानंद
6. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्री चैतराम साहू
8. श्री रामदयाल उइके
9. श्री टी.एस.सिंहदेव

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अत: निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री भीमा मंडावी
2. श्री ब्रम्हानंद
3. श्री रामजी भारती
4. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
5. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
6. डॉ.हरिदास भारद्वाज
7. श्री अग्नि चंद्राकर
8. श्री लेखराम साहू
9. श्रीमती अंबिका मरकाम

श्री भीमा मण्डावी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

17. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2012-2013 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं:-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री,
3. श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा एवं जल संसाधन मंत्री
4. श्री हेमचंद यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
5. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा,
6. श्री नंदकुमार पटेल
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. श्री धर्मजीत सिंह

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष, विधानसभा
2. श्री ननकीराम कंवर, गृहमंत्री
3. श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री
4. श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
5. श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री
6. श्री रामपुकार सिंह
7. श्री बोधराम कंवर
8. डॉ. हरिदास भारद्वाज
9. डॉ. शक्राजीत नायक

अध्यक्ष विधानसभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
2. श्री खेदूराम साहू
3. श्री जगेश्वर राम भगत
4. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
5. श्री बदरूद्दीन कुरैशी
6. श्री शिवराज सिंह उसारे
7. श्री अमरजीत भगत

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री राजू सिंह ठाकुर
2. श्रीमती कुमारी मदन साहू
3. श्री डमरूधर पुजारी
4. श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीक्स
5. श्री टी.एस.सिंहदेव
6. श्री हृदयराम राठिया
7. श्री रामदयाल उइके

श्री राजू सिंह ठाकुर, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री सेवकराम नेताम
2. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी

3. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
4. श्री रामजी भारती
5. श्री शिवराज सिंह उसारे
6. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
7. श्री जयसिंह अग्रवाल

श्री सेवकराम नेताम, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री फूलचंद सिंह
2. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
3. श्री खेदूराम साहू
4. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
5. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
6. श्री भोलाराम साहू
7. डॉ.शिवकुमार डहरिया

श्री फूलचंद सिंह, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री दीपक कुमार पटेल
2. श्रीमती रेणुका सिंह
3. श्री बैदूराम कश्यप
4. श्री राजू सिंह ठाकुर
5. श्री अजीत जोगी
6. श्री परेश बागबाहरा
7. श्री धर्मजीत सिंह

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री बद्रीधर दीवान
3. श्री राजकमल सिंघानिया
4. श्री गुरूमुख सिंह होरा
5. श्री अमितेश शुक्ल

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
3. श्री नंदकुमार साहू
4. श्री भीमा मण्डावी
5. श्री संतोष बाफना
6. श्री लखमा कवासी
7. महंत श्री रामसुंदर दास
8. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
9. श्री सौरभ सिंह

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री डमरूधर पुजारी

3. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
4. श्री सेवकराम नेताम
5. श्री रामपुकार सिंह
6. श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर
7. श्री दूजराम बौद्ध

श्री देवजी पटेल, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री बैदूराम कश्यप
2. श्रीमती रेणुका सिंह
3. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
4. श्री खेदूराम साहू
5. श्री रूद्र कुमार गुरू
6. श्री लेखराम साहू
7. श्री भजन सिंह निरंकारी

श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्री दीपक कुमार पटेल
3. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
4. श्री संतोष बाफना
5. श्री परेश बागबाहरा
6. श्री धर्मजीत सिंह
7. श्री ताम्रध्वज साहू

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
3. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
4. श्री अमितेश शुक्ल
5. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
6. श्री रामदयाल उइके

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

18. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2012-2013 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूँ :-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
3. श्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष, विधान सभा
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री देवजी पटेल
6. डॉ कृष्णमूर्ति बांधी
7. श्री भीमा मण्डावी
8. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
9. श्री राजू सिंह ठाकुर
10. श्री सेवकराम नेताम
11. श्री फूलचन्द सिंह

12. श्री दीपक कुमार पटेल
13. श्री बद्रीधर दीवान
14. श्री बैदूराम कश्यप
15. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
16. श्री धर्मजीत सिंह
17. श्री ताम्रध्वज साहू
18. डॉ.हरिदास भारद्वाज
19. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति का पदेन सभापति होंगे।

19. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र का आज अंतिम दिवस है । यह बजट सत्र दिनांक 12 मार्च, 2012 से 13 अप्रैल, 2012 तक आहूत था । परंतु सदन की सर्वानुमति और सहमति से यह सत्र आज दिनांक 04 अप्रैल, 2012 को समाप्त हो रहा है । मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस बजट सत्र का समापन अत्यंत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है । यद्यपि इस बजट सत्र के शुरूआती दिवसों में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों एवं सरकार के मध्य विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई, किंतु मुझे इस बात का संतोष भी है कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने परस्पर समन्वय एवं समादर की भावना से सदन के गतिरोध को समाप्त कर कार्यवाही के संचालन में मुझे अपना अधिकतम सहयोग दिया।

इस सत्र में छत्तीसगढ़ से राज्य सभा के लिए रिक्त हुए एक स्थान के लिए निर्विरोध निर्वाचित माननीय डॉ.भूषण लाल जांगड़े को मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं ।

वर्तमान समय में देश का संसदीय परिदृश्य चुनौतियों भरा प्रतीत हो रहा है । संसदीय सदन की सर्वोच्चता पर सवाल किए जा रहे हैं । ऐसे समय में जनप्रतिनिधि संस्थाओं की सर्वोच्चता को स्थापित और सुदृढ़ करना एक चुनौती है । जनमानस में संसदीय सदन के प्रति आस्था एवं विश्वास को स्थापित एवं संवर्धित करना आज हम सबका प्रमुख दायित्व है ।

मेरा यह भी मानना है कि सभा के अंदर संसदीय परंपराओं एवं प्रक्रियाओं के पालन एवं सभा के बाहर अपने आचरण एवं कार्य व्यवहार से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास दृढ़ता से स्थापित हो सकता है और यही संसदीय शासन प्रणाली की सफलता का प्रमुख कारक है ।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मण्डल, प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से समाधान निकालने का एकमात्र स्थान होता है । आपके कार्य एवं व्यवहार पर ही प्रजातंत्र की इस सर्वोच्च संस्था की प्रतिष्ठा एवं गरिमा जनमानस में स्थापित होना निर्भर है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु और अधिक सजग रहने का प्रयास करें ।

लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली का उद्देश्य जनता के लिए सुशासन है । लोक कल्याण एवं लोक महत्व के समस्त विषयों पर यह सदन संवेदनशील ही नहीं अपितु अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु सक्रिय भी है । मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा ने न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था ही प्रकट नहीं की वरन् आदर्श संसदीय व्यवस्था के स्वरूप को अपने कार्यकरण से स्थापित भी किया है ।

पक्ष-प्रतिपक्ष में वैचारिक वैभिन्यता के बावजूद लोक हित और लोक कल्याण हेतु इस सदन की सजगता अतुल्यनीय है । आप माननीय सदस्यों के मध्य जो सहृदयता और सद्भाव है, वह संसदीय आदर्श का बेहतर उदाहरण है ।

मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2012 को बजट पर चर्चा के दौरान माननीय कृषि मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू एवं माननीय धर्मजीत सिंह जी के मध्य उत्तर-प्रतिउत्तर में जो स्थितियां निर्मित हुई तथा पश्चात् दोनों ही सदस्यों ने अपने द्वारा प्रयुक्त शब्दावली के संदर्भ में उसी समय खेद व्यक्त किया, पक्ष एवं प्रतिपक्ष के मध्य ऐसी परस्पर सहृदयता, सद्भाव, संसदीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाती है। इस संदर्भ में मैंने उक्त दिवस व्यवस्था देते हुए यह उल्लेख किया था कि इस सदन की उत्कृष्ट परंपराएं रही हैं और पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों में मतवैभिन्यता होते हुए भी सौहार्द्रता एवं शालीनता को मैं इस सदन की धरोहर मानता हूं जिसे संरक्षित रखे जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि तनाव अथवा मतवैभिन्यता के समय भी इस सदन की गरिमा को बनाए रखकर स्वयं अपनी गरिमा में वृद्धि करें। क्योंकि इस पवित्र सदन की गरिमा में ही समस्त सदस्यों की गरिमा सन्निहित है।

मुझे इस बात का आत्मिक संतोष है कि आप माननीय सदस्यों ने मेरे आग्रह को स्वीकार कर व्यवहारिक रूप में इस सदन में प्रस्तुत किया। मैं समस्त सदस्यों को छत्तीसगढ़ के इस विधायी सदन में स्वस्थ संसदीय वातावरण निर्मित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

सदन में सहृदयता और सद्भाव का जो भाव आपने प्रदर्शित किया है उसकी मैं सराहना करते हुए सभा के मान-सम्मान में अभिवृद्धि एवं संसदीय परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए प्रक्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से लोक कल्याण के मामलों को सभा में उठाने के लिये माननीय सदस्यों को उनकी संसदीय दक्षता के लिए हृदय से बधाई देता हूं।

वार्षिक आय-व्ययक के अनुमान पर इस सभा द्वारा स्वीकृति बजट सत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस वर्ष आय-व्ययक के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है, ने एक नई पहल करते हुए कृषि पर होने वाले कुल व्यय को सम्मिलित कर पृथक से कृषि बजट प्रस्तुत किया और इस प्रकार शासन ने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि कृषि जिसके ऊपर इस प्रदेश की अधिकांश आबादी निर्भर है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं।

इस वर्ष उत्कृष्टता अलंकरण समारोह दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को आयोजित हुआ । इस गरिमामय अलंकरण समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने वर्ष 2011-12 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित माननीय सदस्य श्री परेश बागबाहरा एवं माननीय सदस्य श्री विरेन्द्र कुमार साहू, प्रिंट मीडिया से चयनित दैनिक देशबन्धु के संवाददाता श्री ओ.पी.मिश्रा, एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया जी-24 घंटे छत्तीसगढ़ के संवाददाता श्री धनवेन्द्र जायसवाल एवं कैमरामेन श्री वीरेन्द्र नागर को पुरस्कृत किया । मैं सदन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

विकास के लिए उर्जा एक महत्वपूर्ण कारक है। उर्जा का उत्पादन एवं उसकी खपत राज्य के विकास का पैमाना होता है। इसके महत्व को रेखांकित करने एवं सभा के सदस्यों को प्रदेश में इसकी स्थिति से भिज्ञ कराने के उद्देश्य एवं उर्जा के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों से माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने मंगलवार 03 अप्रैल, 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उर्जा पर केन्द्रित पावर पाईंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यों की इस अवसर पर उपस्थिति लोकहित के विषय पर जिज्ञासा एवं जागरूकता को इंगित करती है। मुझे विश्वास है अब इस विषय पर आप सभा में होने वाली चर्चा में और अधिक योगदान दे सकेंगे।

इस सत्र के दौरान दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप माननीय सदस्यों के लिए मायाराम सुरजन फाउण्डेशन के सहयोग से एक संगोष्ठी भी आयोजित हुई। इस संगोष्ठी में देश के प्रख्यात शिक्षाविद सहित विषय विशेषज्ञों ने विषय पर अपने विचार रखे। इस संगोष्ठी से माननीय सदस्यों को विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई जिनका उपयोग वे लोक कल्याण के लिए कर सकेंगे।

सत्र में माननीय सदस्यों के लिये विधानसभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन 20 मार्च से 22 मार्च 2012 तक किया गया जिसका माननीय सदस्यों ने लाभ लिया। मैं इस हेतु स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

बजट सत्र के दौरान सांस्कृतिक आयोजन की परंपरा रही है, इसी तारतम्य में दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में संस्कृति विभाग के सौजन्य से लॉफ्टर शो का आयोजन किया गया। इस हेतु संस्कृति मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मुझे यह उल्लेख करते हुए हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा देश की एक ऐसी प्रथम विधान सभा है, जहां माननीय सदस्य एवं सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए इंडोर गेम्स हेतु एक सर्वसुविधायुक्त खेल प्रशाल का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल के करकमलों से 2 अप्रैल, 2012 को समपन्न

हुआ। इस खेल प्रशाल में अत्याधुनिक जिम, बैडमिंटन, टेबिल टेनिस जैसे खेलों की सुविधा भी खेल विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, इस हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीया खेल मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं ।

इस सत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर मैं रेखांकित करना आवश्यक समझता हूं कि यूं तो सत्रकाल में सदन की कार्यवाही को आमजन द्वारा प्रत्यक्ष देखने की परम्परा पूर्व से चली आ रही है परन्तु इस सत्र में अब तक के सर्वाधिक दर्शकों ने विधान सभा की कार्यवाही को देखा । इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि संस्थाओं के प्रतिनिधियों शैक्षणिक संस्थाओं से विद्यार्थियों तथा विभिन्न संगठनों के लगभग कुल 16,300 दर्शकों ने विधान सभा का भ्रमण किया/कार्यवाही देखी। इसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रदेश की जनता की रूचि में अभिवृद्धि का शुभ संकेत मानता हूं और मेरा यह मत है कि इससे इस व्यवस्था के प्रति आमजनों में विश्वास सुदृढ़ होता है । माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधान सभा क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को विधान सभा परिभ्रमण में सहयोग करें, जिससे कि प्रदेश के अधिकतम् छात्र छात्राएं राज्य की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली एवं महत्व को सहजता से समझ सकें ।

इस बजट सत्र में तृतीय अनुपूरक अनुमान के साथ, वित्तीय वर्ष 2012-13, वार्षिक आय-व्ययक में 48 विभागों के 72 मांगों पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की और चर्चा उपरांत मांगों को पारित किया । किंतु वित्तीय कार्य के साथ-साथ वर्तमान सत्र में चर्चा के विभिन्न माध्यमों से लोक महत्व के विषयों पर व्यापक और विस्तार से चर्चा होना इस सदन की उपलब्धि है । अब मैं इस बजट सत्र में सदन के सम्पन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस सत्र के कुल 20 कार्य दिवसों में कुल 105 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में 2412 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 892 रहे, इनमें से 187 प्रश्नों पर चर्चा हुई । इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 11 प्रश्न प्रतिदिन का रहा । इस सत्र में 19 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 3 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिए सदन में लिए गए, उनमें से 3 संकल्प स्वीकृत हुए । सभा में माननीय सदस्यों ने प्रत्येक विषय पर चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया । आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि इस प्रदेश के सर्वोच्च पंचायत में जनभावना, जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृतसंकल्पित है । इस सत्र काल में शून्यकाल की 136 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 58 सूचनाएं ग्राह्य एवं 78 सूचनाएं अग्राह्य रहीं । तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र में कुल 488 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 81 सूचनाएं ग्राह्य व 373 सूचनाएं अग्राह्य रही तथा 34 नियम 267 क में परिवर्तित की गईं । इस सत्र में कुल 9 विधेयक लाए गए और कुल 6 विधेयक पारित हुए । इस सत्र में कुल 21 प्रतिवेदन पटल पर रखे गए । माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को याचिकाओं के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करने सत्र दर सत्र अधिक प्रयोग करना ही याचिकाओं के महत्व को प्रतिपादित करता है । इस सत्र में 118 याचिकाएं भी सदन पटल पर रखी गई ।

इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद् देता हूं । इस सत्र समापन के अवसर पर लोक तंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से आपने आपनी सार्थकता को सिद्ध किया है । पत्रकार साथियों को संसदीय सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं को अक्षुण्ण रखना एक गुरूत्तर दायित्व भी है । मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र सम्पन्न कराने में सहयोग एवं दायित्वों का गंभीरता से परिपालन करने हेतु बधाई देता हूं ।

सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित/समर्पित सहयोग से इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका ।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तदनुसार आगामी मानसून सत्र जुलाई माह के प्रथम-द्वितीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है ।

इस अवसर पर मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आईए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के संकल्प के अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें ।

धन्यवाद!

जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष, श्री बृजमोहन अग्रवाल-संसदीय कार्य मंत्री, ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किये।

20. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 2.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा